न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर ( आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 08/2014

दायर दिनांकः– 20/05/2014
निर्णय दिनांकः– 17/06/2015

1:– श्री कचरू पिता दलजी पाटीदार उम्र 70 वर्ष पेशा खेती निवासी शिवराजपुर, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

–वादी–

बनाम

1:– श्री मानेंग पिता नगजी मीणा डेण्डोर उम्र 55 वर्ष पेशा खेती ।
2:– श्री रामा पिता नगजी मीणा डेण्डोर उम्र 42 वर्ष पेशा खेती ।
3:– श्री देवीलाल पिता नगजी मीणा डेण्डोर उम्र 48 वर्ष पेशा खेती निवासीयान शिवराजपुर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4:– श्री शकंर पिता धुला यादव उम्र 35 वर्ष पेशा ठेकेदारी निवासी सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5:– भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा ।

–प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 188,209 रा.टी.एक्ट बाबत

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृर्षि भूमि खाता सं 21/20 मौजा शिवराजपुर में कुल खसंरा 4 कुल रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव के निवासी है। वादी के खातेदारी की कृर्षि भूमि में से खसंरा नं 1267 रकबा 8 बिस्वा किस्म 2 बिस्वा म.बीड एवं 6 बिस्वा सुखी प्र. मौजा शिवराजपुर में स्थित है जो वादी ने जरिये पंजिकृत विक्रयपत्र दिनांक 05.11.2003 को नारायणलाल , जवाहरलाल, हेमन्तकुमार , लक्ष्मी , विमला , शकुन्तला , पिता सुखराम जशोदा बेवा सुखराम , नाथुराम , सुन्दरलाल , प्रेमशकंर पिता कुरिया ब्रहमण निवासीयान शिवराजपुर से कय की है। खसंरा नं 1267 कय के बाद सें ही वादी काबिज हो काश्त करता आ रहा है। एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि उसके कब्जेदारी एवं खातेदारी की होकर उसका उपयोग वादी करता आ रहा है। वादी की कृर्षि भूमि खसंरा 1267 पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरण अतिक्रमण कर 27 फरवरी 2014 को जबरन नीवें खोदना प्रारम्भ किया जिस पर वादी ने गांव व पंचायत में इसकी शिकायत की तो उन्होने काम रोक दिया परन्तु दो दिन बाद ही उनके द्वारा पूनः 01. 03.2014 को उक्त खसंरे पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जिसकी लिखित ईत्तला पूलिस थाना सागवाडा दी गई । उक्त खसंरे पर प्रतिवादीगण को रोके जाने पर भी वह नहीं मान रहें और जबरन वादी के खातेदारी की कृर्षि भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने उतारू हो रहे है प्रतिवादीगण वादी को धमकी दे रहें है कि अगर काम करने से रोका गया तो एटोसीटी की झुठी कार्यवाही में फंसा देगे। तथा उसके साथ मारपीट करने की धमकी भी देकर जबरन निर्माण करने उतारू हो रहे है। जिससे उन्हे रोका जाना निहायत ही आवश्यक है। प्रतिवादीगण 1 से 3 संगे भाई है। तथा प्रतिवादीगण सं 4 ठेकेदार हो प्रतिवादीगण 1 से 3 के निर्देशों पर वादी के खसंरे 1267 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने की नियत से जबरन निर्माण कार्य निरन्तर करते रहने से वाद कारण पैदा हो रहा है। वादी के खातेदारी की कृर्षि भूमि खसंरा नं 1267 रकबा 8 बिस्वा पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण करने के आशय से कराये जा रहे निर्माण कार्य को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना निहायत ही आवश्यक है नही तो वादी को अपूर्णियक्षति होगी और वादी अपनी ही कृर्षि भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित हो जायेगा। वादी के कब्जेदारी एवं खातेदारी की कृर्षि भूमि मौजा शिवराजपुर में स्थित खसंरा नं 1267 रकबा 8 बिस्वा की भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नही करें और नहीं अपने किसी ऐजेन्ट , रिश्तेदार ,

Scanned by CamScanner

कदार से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करावें। खसंरा नं 1267 रकबा 8 बिस्वा पर वादी को खेती करने तथा उपयोग उपभोग करने से प्रतिवादीगण किसी प्रकार की रूकावट पैदा न करें। दोराने वाद वादी की आराजी नं 1267 रकबा 8 बिस्वा के किसी भी हिस्से पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण कर निर्माण करने में कामयाब हो गये तो प्रतिवादीगण को बैदखल कर आराजी नं 1267 का कब्जा पुनः दिलाया जाय।

प्रतिवादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण के पैरवी हेतु अनुपस्थिति रहने से दिनांक 02/03/2015 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली में तनकी कायम न की जाकर साक्ष्य वादी में नियत की गई। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में दस्तावेज बेचाननामा खसंरा सं 1267 रकबा 8 बिस्वा खाता सं 178 ग्राम शिवराजपुर की प्रतिलिपि (**EX1**), जमाबन्दी संवत् 2069–2072 मौजा शिवराजपुर खाता सं 21 नया 20 व 22 पुराना की प्रतिलिपि ( **EX2**), खसंरा सं 1267 का नक्शा ट्रैस ( **EX3**), जमाबन्दी खतौनी ग्राम शिवराजपुर खाता सं 21 नया 20 पुराना खसंरा सं 1267 रकबा 8 बिस्वा की प्रतिलिपि ( **EX4**), नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम शिवराजपुर पटवार हल्का सामलिया खसंरा सं 1267 की प्रतिलिपि ( **EX5**), आदि प्रस्तुत किए। गवाह के रूप में कचरू पिता दलजी पाटीदार का शपथ–पत्र ( **PW1**), गौतम पिता दलजी पाटीदार का शपथ–पत्र ( **PW2**), तथा हेतलाल पिता नाथुरामजी जोशी ब्रहमण का शपथ पत्र ( **PW3**), प्रस्तुत किए। साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए। वकील वादीगण की बहस समाप्त की गई। निर्णय निम्नानुसार है। –

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात खसंरा नं 1267 रकबा 8 बिस्वा ग्राम शिवराजपुर में स्थित है, जो वादी द्वारा दिनांक 05/11/2003 को नारायणलाल , जवाहरलाल , हेमन्त कुमार , लक्ष्मी , विमला , शकुन्तला , पिता सुखलाल , जशोदा बेवा सुखराम , नाथुराम , सुन्दरलाल , प्रेमशकंर पिता कुरिया निवासी शिवराजपुर से कय की है जो दिनांक 17/02/2004 को उप पंजीयक सागवाडा के यहॉ पंजीकृत करवाई गई। वर्तमान में जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के अनुसार वादी के नाम खाता सं 21 में दर्ज है। वादी के अनुसार वादग्रस्त आराजी कय करने के पश्चात से उसका उपयोग –उपभोग वादी कर रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण कर उक्त आराजी ने नीवें खोदना प्रांरभ कर दिया। प्रस्तुत रेकार्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे मौजा शिवराजपुर के खसंरा सं 1267 रकबा 8 बिस्वा भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण ना करें। इस आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner